राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 7(24)राज/वाद/13 जयपुर, दिनांक 17/8/26

:: आदेश ::

श्री बृजेश कुमार जैमन, कनिष्ठ सहायक तत्कालीन कार्यालय अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, मालपुरा, जिला टोंक हाल पदस्थापन कार्यालय राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत ज्ञापन क्रमांक प.7(24)राज/वाद/13 जयपुर, दिनांक 08.09.2020 के द्वारा निम्नानुसार आरोप प्रसारित किये गये:–

"यह कि आप श्री बृजेश कुमार जैमन, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, मालपुरा, जिला टोंक में कार्यरत रहने के दौरान संलग्न आरोप विवरण पत्र में वर्णितानुसार अपने कार्यालय से दिनांक 30.08.19 से दिनांक 29.02.2020 की अवधि के बीच बार–बार बिना पूर्व सूचना/अनुमति के कार्यालय से अनुपस्थित रहे हैं तथा दिनांक 03.03.2020 से लगातार अपने कार्यालय से बिना पूर्व सूचना/अनुमति के बिना अवकाश स्वीकृत कराये स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित चल रहे हैं।

इस विभाग के पत्र दिनांक 20.09.19, 06.11.19, 17.01.2020 व 18.03.2020 के द्वारा आपको कार्यालय में अविलम्ब उपस्थित होने एवं कार्यालय से बिना पूर्व अनुमति के बिना अवकाश स्वीकृत कराये अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में अपने कार्यालय के माध्यम से स्पष्टीकरण भिजवाये जाने तथा अनुपस्थिति अवधि का अवकाश स्वीकृत करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र/सुसंगत दस्तावेजात की छायाप्रति इस विभाग को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया, किन्तु आप द्वारा कोई सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है एवं बार–बार बिना पूर्व सूचना/अनुमति के कार्यालय से स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रहे हैं तथा दिनांक 03.03.2020 से लगातार अपने कार्यालय से अनुपस्थित हैं। इस प्रकार आप श्री बृजेश कुमार जैमन कार्यालय से बिना पूर्व सूचना/अवकाश स्वीकृत कराये अपने कर्त्तव्य से स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रहने एवं आदेशों की अवहेलना कर, कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतकर राजस्थान सेवा नियमों के नियम 86 के अन्तर्गत गम्भीर दुराचरण करने के लिये उत्तरदायी हैं। जैसा कि आरोप विवरण पत्र में वर्णित है।"

उक्त ज्ञापन की प्रति आरोपी कर्मचारी श्री बृजेश कुमार जैमन को प्रेषित कर इस संबंध में जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया कि "क्या आप आरोप पत्र की सत्यता को स्वीकार करते है? अथवा अपने बचाव में आरोपों के संबंध में स्पष्टीकरण देना चाहते है अथवा व्यक्तिगत सुनवाई चाहते है?"

उपलब्ध विभागीय रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी कर्मचारी ने दिनांक 23.09.2020 को अनुशासनिक अधिकारी/शासन सचिव, विधि के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विभागीय ज्ञापन दिनांक 08.09.2020 के द्वारा प्रसारित आरोप/जांच कार्यवाही के संबंध में प्रार्थी व्यक्तिगत सुनवाई चाहता है तथा अपने बचाव मे आरोपों के संबंध में स्पष्टीकरण भी देना चाहता है। विभागीय पत्र दिनांक 15.10.2020 के द्वारा श्री जैमन को उसके द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 23.09.2020 के संदर्भ में पुनः निर्देशित किया गया है कि वह विभागीय ज्ञापन दिनांक 08.09.2020 के संबंध में 15 दिवस की अवधि में अपने बचाव में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें अन्यथा इसके अभाव में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

17.08.26

इस संबंध में श्री जैमन की ओर से कोई जवाब/अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होने पर विभागीय आदेश दिनांक 03.12.2020 तथा पश्चातवर्ती आदेश दिनांक 01.11.2022 के द्वारा प्रकरण की जांच हेतु जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण में प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट दिनांकित 21.04.2025 का अवलोकन किया गया, जिसमें जांच अधिकारी द्वारा आरोपी कर्मचारी श्री बृजेश कुमार जैमन के विरूद्ध विभागीय ज्ञापन दिनांक 08.09.2020 के द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र में विरचित आरोप प्रमाणित पाये गये हैं।

जांच अधिकारी की ओर से प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट दिनांकित 21.04.2025 की प्रति विभागीय पत्र दिनांक 16.05.2025 के द्वारा आरोपी कर्मचारी श्री बृजेश कुमार जैमन को प्रेषित कर निर्देशित किया गया कि जांच रिपोर्ट के संबंध में आप अपना पक्ष/अभ्यावेदन 10 दिवस की अवधि में प्रस्तुत करें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते है तो उक्त 10 दिवस की अवधि में 02 दिवस पूर्व सूचित कर, किसी भी कार्य दिवस में अनुशासनिक अधिकारी के समक्ष उपस्थित होवें। आरोपी कर्मचारी को यह भी निर्देशित किया गया कि उक्त 10 दिवस की अवधि मे आप द्वारा अनुशासनिक अधिकारी के समक्ष कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करने/व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं होने की स्थिति में जांच रिपोर्ट पर अन्तिम निर्णय ले लिया जावेगा।

विभागीय पत्र दिनांक 16.05.2025 के क्रम मे आरोपी कर्मचारी द्वारा दिनांक 23.05.2025 को अनुशासनिक अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अभ्यावेदन प्रस्तुत कर उसके अभ्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर प्रार्थी को संदर्भित अनुशासनात्मक कार्यवाही से मुक्त करने का निवेदन किया।

विवेचनः –

प्रकरण से संबंधित उपलब्ध रिकॉर्ड एवं विभागीय जॉच कार्यवाही के दौरान प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात तथा गवाहों के बयानों के आधार पर यह स्पष्ट है कि विभागीय आदेश दिनांक 26.02.13 के द्वारा आरोपी कर्मचारी श्री बृजेश कुमार जैमन को आदेश में वर्णित शर्तों के साथ कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यभार संभालने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान की गयी थी, जिसकी पालना में श्री जैमन ने कार्यालय शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण), शासन सचिवालय, जयपुर मे दिनांक 28.02.2013 को उपस्थिति प्रस्तुत कर कार्यग्रहण किया। विभागीय आदेश दिनांक 13.08.19 के द्वारा श्री जैमन का कार्यालय अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, मालपुरा जिला टोंक में स्थानान्तरण किया गया था।

अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, मालपुरा, टोंक के पत्र दिनांक 06.09.2019, 21.10.2019, 07.12.2019 एवं 09.12.2019 के द्वारा आरोपी कर्मचारी श्री बृजेश कुमार जैमन की अपने कार्यालय से दिनांक 30.08.2019 से दिनांक 10.07.2020 तक की अवधि में विभिन्न दिवसों में लगातार अपने कार्यालय से बिना पूर्व अनुमति स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रहने के संबंध में इस विभाग को अवगत करवाया गया। इस संबंध में विभागीय पत्र दिनांक 20.09.2019, 06.11.2019 व 17.01.2020 के द्वारा कार्मिक श्री बृजेश कुमार जैमन को उक्त वर्णित अनुपस्थिति अवधि के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके संबंध मे आरोपी कर्मचारी द्वारा दिनांक 06.12.19 को जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसको अपर लोक अभियोजक, मालपुरा द्वारा खंडन करते हुये आरोपी कर्मचारी के उसे बार-बार हिदायत दिये जाने के उपरान्त भी अपने कार्यों के प्रति घोर लापरवाही करने एवं उपरोक्त वर्णित अवधि में कार्यालय से स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने के संबंध में विशिष्ठ शासन सचिव, विधि (वादकरण), विभाग को अवगत करवाया है। जिला कलक्टर, टोंक ने भी पत्र दिनांक 23.07.2020 विशिष्ठ शासन सचिव, विधि (वादकरण), विभाग को प्रेषित कर आरोपी कर्मचारी के विरूद्ध कार्यालय से स्वेच्छा अनुपस्थित रहने एवं राजकार्य में लापरवाही बरतने के संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध मे आवश्यक कार्यवाही किये जाने का लेख किया है। इस संबंध में कार्मिक द्वारा प्रस्तुत किया

गया जवाब संतोषजनक नहीं पाये जाने पर कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय ज्ञापन दिनांक 08.09.2020 जारी कर आरोप पत्र मय आरोप–विवरण पत्र प्रसारित किये गये। अपचारी कर्मचारी द्वारा उसे जारी किये गये ज्ञापन एवं आरोपों के संबंध में अभ्यावेदन दिनांक 23.09.2020 प्रस्तुत कर व्यक्तिगत सुनवाई चाहने एवं अपने बचाव में आरोपों के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने का निवेदन किया है। आरोपी कर्मचारी को ज्ञापन दिनांक 08.09.2020 के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु विभागीय पत्र दिनांक 16.10.2020 प्रेषित कर 15 दिवस का अवसर प्रदान किया गया और यह भी निर्देशित किया गया कि इसके अभाव में नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। आरोपी कर्मचारी द्वारा इस संबंध में कोई जवाब/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया। प्रकरण में विभागीय जांच हेतु जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है आरोपी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 28.11.2023 पर उसकी ओर से विभागीय जांच में शासन सचिव, विधि के आदेश दिनांक 16.01.2024 द्वारा श्री श्रवण कुमार जैमन, से0नि0 सहायक विधि परामर्शी को आरोपी की ओर से बचाव हेतु बचाव प्रतिनिधि नियुक्त किया गया।

जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट का आद्योपांत अवलोकन किया गया, जिससे स्पष्ट है कि आरोपी कर्मचारी उसके विरूद्ध विचाराधीन विभागीय जांच में उसे बार–बार नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किये जाने के उपरान्त दिनांक 02.03.2021, 17.08.2023, 20.10.2023, 28.11.2023, 18.12.2023, 10.01.2024, 24.01.2024, 02.02.2024, 12.02.2024, 23.02.2024, 06.03.2024, 27.03.2024, 05.04.2024, 30.04.2024, 17.05.2024, 29.05.2024, 06.06.2024, 31.07.2024, 27.09.2024, 12.11.2024, 20.11.2024, 27.11.2024, 12.12.2024, 16.12.2024, 17.01.2025 एवं 30.01.2025 को स्वयं तथा अपने बचाव प्रतिनिधि के माध्यम से विभागीय जांच में उपस्थित हुआ है। आरोपी कर्मचारी के अनुरोध पर उसे सूची गवाहान व दस्तावेजात की प्रति भिजवायी गई।

अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थापक अधिकारी द्वारा आरोपी कर्मचारी के विरूद्ध लगाये गये आरोप को प्रमाणित किये जाने हेतु मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये। मौखिक साक्ष्य के रूप में गवाह श्री सुरेश कुमार वर्मा को प्रस्तुत किया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में कुल 13 दस्तावेज (प्रदर्श पी–1 से पी–13) प्रस्तुत किये गये हैं, जिसमें अपर लोक अभियोजक, मालपुरा द्वारा विशिष्ठ शासन सचिव, विधि (वादकरण) को लिखे गये पत्र दिनांक 06.09.2019, 21.10.2019, 07.12.2019, 09.12.2019, 10.07.2020 व 06.02.2021 प्रस्तुत किये गये हैं, जिनमें आरोपी कर्मचारी के बिना पूर्व सूचना कार्यालय से अनुपस्थित रहने, कार्य में लापरवाही करने, घोर लापरवाह होने व आरोपी कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का उल्लेख किया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा जिला कलक्टर, टोंक द्वारा विशिष्ठ शासन सचिव, विधि (वादकरण) को प्रेषित पत्र दिनांक 13.02.2020 व 23.07.2020 भी प्रस्तुत किये गये हैं, जिनके द्वारा आरोपी कर्मचारी के बिना पूर्व सूचना के कार्यालय से अनुपस्थित रहने का उल्लेख करते हुये उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है। विशिष्ठ शासन सचिव, विधि (वादकरण) के पत्र दिनांक 20.09.2019, 06.11.2019 व 17.01.2020 द्वारा आरोपी कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस देते हुये उससे स्पष्टीकरण मांगा गया है। आरोपी कर्मचारी द्वारा पत्र दिनांक 06.12.2019 द्वारा अपने आपको बुखार से पीड़ित रहने के कारण अनुपस्थित रहना तथा पत्र दिनांक 26.02.2020 के द्वारा परिवार में विषम परिस्थितियों के कारण कार्यालय में सूचना नहीं दे पाना तथा अनुपस्थित रहना स्वीकार किया गया है।

आरोपी कर्मचारी द्वारा अपने बचाव में सुनवाई तिथि दिनांक 23.02.2020 को प्रार्थना पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी दिनांक 30.08.2019 से 10.07.2020 तक लीवर की बीमारी होने के कारण बीमार रहा है तथा उक्त समय में समय–समय पर कुछ ठीक होने के कारण कार्यालय में उपस्थित भी हुआ है। बीमारी के कारण चिकित्सक ने प्रार्थी को घर पर रह कर आराम करने की सलाह दी थी, इस कारण प्रार्थी आरोप पत्र में उल्लेखित समय में कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सका। आरोपी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ डॉ0 डी.एन. शर्मा का प्रमाण पत्र (प्रदर्श

17/08/26

डी–1) में प्रस्तुत किया गया है। आरोपी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत की गई लिखित बहस में उसके द्वारा कार्यालय से स्वेच्छा से अनुपस्थित नहीं रहना बताते हुये आरोप पत्र में वर्णित अवधि में हेपेटाइटिस लीवर रोग से पीड़ित रहने के कारण कार्यालय में उपस्थित नहीं रहना बताया गया है।

जांच अधिकारी द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि आरोपी कर्मचारी को विभागीय जांच में सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह द्वारा कार्यालय अभिलेख के आधार पर कथन किया गया है कि आरोपी कर्मचारी बिना पूर्व सूचना एवं अनुमति के अपने कार्यालय से अनुपस्थित रहा है, उक्त के खंडन हेतु बचाव पक्ष की ओर से अभियोजन साक्षी से कोई जिरह नहीं की गई तथा बचाव पक्ष की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे आरोपी कर्मचारी के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को अमान्य करवाया जा सके। आरोपी कर्मचारी की ओर से अपने बचाव में दिनांक 23.02.2024 को एक मात्र दस्तावेज प्रदर्श डी–1 (डॉ0 डी.एन. शर्मा, वरिष्ठ विशेषज्ञ, दौसा का प्रमाण पत्र) प्रस्तुत किया गया है जिसमें अंकन किया गया है कि प्रार्थी के लीवर की बीमारी से ग्रसित होने के कारण उन्हें प्रमाण पत्र में उल्लेखित अवधि में आराम करने की सलाह दी गई है। यह वही तिथियां है, जिनके संबंध में आरोपी पर अपने कार्यालय से अनुपस्थित रहने का आरोप है। आरोपी द्वारा प्रस्तुत उक्त चिकित्सकीय प्रमाण पत्र के साथ अन्य कोई दस्तावेज का साक्ष्य संलग्न नहीं किया है। आरोपी कर्मचारी द्वारा आरोप पत्र में उल्लेखित अनुपस्थित अवधियों के 03 वर्ष से अधिक समय के पश्चात किसी चिकित्सक से, सभी अनुपस्थित अवधियों का एक साथ उल्लेख कर, लीवर की बीमारी के कारण बेडरेस्ट की सलाह देने का एक प्रमाण पत्र प्राप्त कर उसे जांच के समय प्रस्तुत करने से, आरोपी के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को अप्रमाणित नहीं माना जा सकता है। आरोपी कर्मचारी द्वारा अपने प्रति परीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वह उक्त अनुपस्थित अवधियों का बीमार होने के कारण मेडीकल अवकाश स्वीकृत करवाने हेतु कोई प्रार्थना पत्र कार्यालय में नहीं दे पाया है और ना ही अवकाश स्वीकृत करवाया है तथा ना ही उसे यह जानकारी होना बताया है कि बीच–बीच में कार्यालय ज्वाईन करते समय कोई सिकनेस–फिटनेस सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया था या नहीं, जिससे प्रकट होता है कि आरोपी कर्मचारी द्वारा अपने कार्यालय में कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। आरोपी कर्मचारी ने विशिष्ठ शासन सचिव, विधि (वादकरण) को प्रेषित पत्र दिनांक 26.02.2020 में यह स्वीकार किया है कि वह विषम परिस्थितियों के कारण सूचना नहीं दे पाया तथा कार्यालय में उपस्थित नहीं हो पाया। उक्त पत्र में भविष्य में बिना सूचना दिये अनुपस्थित नहीं होने का आश्वासन देते हुये उसके प्रति नरम रूख अपनाये जाने व उपार्जित अवकाश स्वीकृत करवाने का निवेदन किया गया है। आरोपी कर्मचारी द्वारा जहां एक तरफ स्वयं के बीमार होने के कारण चिकित्सकीय आधार पर कार्यालय में उपस्थित नहीं होना अवगत करवाया गया है वहीं दूसरी तरफ विषम पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर कार्यालय में उपस्थित नहीं होने के कारण उपार्जित अवकाश स्वीकृत करवाने का अनुरोध किया गया है, जो कि आपस में विरोधाभाषी है।

इस प्रकार जांच अधिकारी द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर आरोपी कर्मचारी श्री बृजेश कुमार जैमन के विरूद्ध विरचित आरोप प्रमाणित पाये गये हैं।

निष्कर्षः–

यद्यपि आरोपी कर्मचारी के हाल पदस्थापन कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर ने पत्र क्रमांक 936 दिनांक 23.05.2025 के द्वारा विधि सचिव को आरोपी कर्मचारी के वर्ष 2022 से उनके कार्यालय में पदस्थापन होने एवं उनके कार्यकाल के दौरान आरोपी कर्मचारी का कार्य संतोषप्रद होने का लेख किया गया है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन कर विचार किया, जिससे उक्त प्रकरण में जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट

दिनांकित 21.04.2025 से असहमत होने का कोई आधार नहीं है। इस प्रकार अपचारी कर्मचारी के द्वारा अपने पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में घोर उपेक्षा व लापरवाही बरते जाने के आरोप, कार्यालय से बिना पूर्व सूचना/अनुमति के बिना अवकाश स्वीकृत कराये स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रहने के कारण पूर्णतः सिद्ध हैं

जाँच अधिकारी ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप अपचारी कर्मचारी को सुनवाई एवं प्रतिरक्षा का सम्पूर्ण अवसर प्रदान करते हुये जांच कार्यवाही संपादित की है और उपरोक्तानुसार अपचारी कर्मचारी को अपने पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही व उदासीनता बरतने बाबत अपना निष्कर्ष पारित किया है, जिस हद तक मैं संतुष्ट और सहमत हूँ। जहां तक अपचारी कर्मचारी का कृत्य किसी भविष्यवर्ती दुर्भावना से ग्रस्त नहीं होने का प्रश्न है, केवल मात्र इस आधार पर अपने पदीय कर्त्तव्यों का निर्वहन पूर्ण सावधानी, सतर्कता व सत्यनिष्ठा से निष्पादित करने के उत्तरदायित्व से अपचारी कर्मचारी को उन्मुक्त नहीं किया जा सकता है।

अपचारी कर्मचारी ने व्यक्तिशः सुनवाई में स्वयं के विरूद्ध नरम रूख अपनाये जाने की प्रार्थना की है।

इस प्रकार उक्त समस्त परिस्थितियों में अपचारी कर्मचारी की स्वयं के कर्त्तव्यों के प्रति रही उपेक्षा व लापरवाही की हद तक दण्ड के संबंध में अपचारी कर्मचारी श्री बृजेश कुमार जैमन, कनिष्ठ सहायक तत्कालीन कार्यालय अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, मालपुरा, जिला टोंक हाल पदस्थापन कार्यालय राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर के प्रति संतुलित रूख अपनाया जाना विधिसम्मत प्रतीत होता है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख पर मौजूद समस्त सामग्री के अवलोकन में तथा अपचारी कर्मचारी की उपेक्षा एवं लापरवाही पूर्ण कृत्य को देखते हुये अपचारी कर्मचारी श्री बृजेश कुमार जैमन, कनिष्ठ सहायक तत्कालीन कार्यालय अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, मालपुरा, जिला टोंक हाल पदस्थापन कार्यालय राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर को नियम 16 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के तहत दिनांक 08.09.2020 को जारी किये गये आरोप पत्र के संबंध में 02 वेतन वृद्धि असंचय प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया जाता है।

इस आदेश की 01 प्रति अपचारी कर्मचारी की निजी पत्रावली में संलग्न रखी जावे तथा आदेश की प्रविष्टि अपचारी कर्मचारी की सेवापुस्तिका में लाल स्याही से अविलम्ब किये जाने हेतु अपचारी कर्मचारी के वर्तमान पदस्थापन कार्यालय को भी आदेश की प्रति भिजवाते हुये अवगत कराया जावे।

ह०
(प्रमोद कुमार मलिक)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि/विशिष्ठ शासन सचिव, वादकरण।
2. जिला कलक्टर, टोंक।
3. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर।
4. संबंधित कोषाधिकारी।
5. लेखा शाखा/सहायक लेखाधिकारी-I, वादकरण।
6. श्री बृजेश कुमार जैमन, कनिष्ठ सहायक हाल पदस्थापन कार्यालय राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर।
7. ए0सी0पी0, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

17.06.25
शासन सचिव, विधि